झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–427/2016– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **बक्सा जलाशय योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू. 5942.36 लाख (रू. उनसठ करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन बक्सा जलाशय योजना चतरा जिले के ईटखोरी प्रखण्ड में बक्सा नदी पर इटखोरी से 4 कि०मी० की दूरी पर निर्मित बक्सा जलाशय योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू. 5942.36 लाख (रू. उनसठ करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. योजना का रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 2400 हेक्टेयर एवं रब्बी सिंचाई क्षमता 600 हेक्टेयर है, इस योजना से चतरा जिले के इटरवोरी एवं हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखण्ड में सिंचाई दी जाती है। इस योजना से इस क्षेत्र के ईटखोरी, कल्याणपुर माधवपुर, कोलहईया, परसौनी, रोमी, मोहनपुर, हरहरा गाँवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्रामों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की भी संख्या है।

4. योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने के लिये योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के अन्तर्गत मुख्यतः डैम के उपर पारापेट वाल एवं डैम टॉप रोड का पुनरूद्धार मुख्य नहर एवं शाखा नहर का तल सफाई, नहर तटबंधो का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न नहर संरचनाओं यथा फॉल, सी०डी०, पुल, इस्केप संरचना का विशेष मरम्मति, मुख्य नहर तथा शाखा नहर का कन्क्रीट लाईनिंग इत्यादि कार्य कराने का प्रावधान किया गया है। नहर के बाहरी स्लोप पर पेड़ लगाने का प्रावधान है।

उक्त सभी मरम्मति कार्यो एवं नहरों, वितरणियों, जलवाहों के जिर्णोद्धार कार्यों के साथ आवश्यक Out let/ Inlet एवं जलवाहों के पुनर्निर्माण कार्य का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है।

5. प्रस्तावित पुनरूद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् **2400 हेक्टर** में खरीफ एवं 600 हे० में रब्बी सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा। यॉत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, रॉची होंगे। यांत्रिक कार्यों के सही होने की सहमति कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक से प्राप्त की जायेगी।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2018–19 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। वर्ष 2015–16 में निविदा आमंत्रण तथा निष्पादन किया जा सकता है।

8. योजना का लाभ–लागत अनुपात 1.67 : 1 है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसंज्जीकरण (सामग्री)

(ii) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 43 में रू० 9000.00 लाख
b. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 43 में रू० 7000.00 लाख

11. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

15. प्रस्तावित कार्य के लिए उपशीर्ष–54–सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

18. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–427/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–427/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–427/2016– 75/15-16 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 29.03.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/16

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

29/03/16